समावेशी विकास के लिए नवोन्मेषकारी नीति ?
An Innovation Policy for Inclusive Growth?

आनंद पटवर्धन
Anand Patwardhan

नवोन्मेष को स्थायी आर्थिक विकास की कुंजी के रूप में व्यापक मान्यता और स्वीकृति मिल गई है. आर्थिक सहयोग व विकास संगठन के समान विकासशील देशों के लिए भी आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य यही है. एशिया के विकास का आधार जहाँ एक ओर कम लागत पर निर्माण की क्षमता है, वहीं पर उसकी उदीयमान शक्ति का आधार ज्ञान- आधारित उद्योगों के साथ- साथ नई प्रौद्योगिकी और व्यापार के नए मॉडलों में नवोन्मेष की क्षमता भी है . लेकिन विडंबना यही है कि नवोन्मेष की नीति के अनुरूप जो अपेक्षाएँ हैं ,उन्हें देखते हुए उसके महत्व को पूरी तरह से समझकर उसे अभी कार्यान्वित नहीं किया जा सका है.

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में नवोन्मेष और नवोन्मेष नीति पर जो चर्चा होती है वह अधिकांशतः नवोन्मेष के क्षेत्र पर ही केंद्रित रहती है ,क्योंकि इसका उदय नए उत्पादों के आविष्कार और निर्माण से संबद्ध अनुसंधान व विकास की प्रक्रियाओं तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी की प्रगति से जुड़ी संसाधन प्रौद्योगिकियों से होता है. ज़ाहिर है कि इस क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों के निर्माण, संरक्षण और दोहन की केंद्रीय भूमिका है. इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का कानूनी और विनियामक ढाँचा इसकी केंद्रीय नीति का सबसे बड़ा सरोकार है . परंतु विकासशील देशों में और कदाचित् अलग-अलग मात्रा में सभी देशों में ही कम से कम तीन अन्य ऐसे क्षे त्र हैं जिन्हें नवोन्मेष के रूप में पहचाना जा सकता है और नवोन्मेष की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण भी हैं. ये क्षेत्र ऐसे आर्थिक विकास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो समावेशी हो और जिसमें आर्थिक अवसरों के निर्माण और विस्तार की संभावनाएँ पिरामिड के दोनों ओर हों ...नीचे भी और ऊपर भी . इन क्षेत्रों में मुझे आशंका है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का अनिवार्य आर्थिक औचित्य - कम से कम पेटेन्ट के बारे में - औपचारिक क्षेत्र (अर्थात् प्रतिफल के विनियोजन की क्षमता के फलस्वरूप नवोन्मेष के लिए प्रोत्साहन) में है और यदि ऐसा है भी तो भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है.

पहला क्षेत्र है जिसे प्रायः ‘‘तृणमूल नवोन्मेष’’ कहा जाता है . इस विधि में ऐसे समाधान निहित हैं जिन्हें मोटे तौर पर संसाधनों की तंगी के वातावरण में आशुक्रिया और प्रयोग के ज़रिए विकसित किया जाता है . ये समाधान भी ऐसे व्य क्तियों द्वारा संपन्न होते हैं जिन्हें न तो कोई औपचारिक शिक्षा मिली होती है और न ही वे इसके लिए उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होते हैं. इन व्यक्तियों के लिए बौद्धिक संपदा प्रणाली में औपचारिक साधनों के योगदान की कोई गुंजाइश नहीं रहती है. इसका कारण यह है कि इसके व्यवसायीकरण या नवोन्मेषकों को प्रतिफल मिलने में प्रमुख बाधा बौद्धिक संपदा के होने या न होने में नहीं है बल्कि पूँजी की सीमाओं (खास तौर पर आरंभिक स्थिति के वित्तपोषण के मामले में),जोखिम उठाने की क्षमता और बाज़ार की सीमाओं (स्थानीय उपयोग) के कारण अक्सर बाज़ार के अवसर न मिलना है . साथ ही यह एक महत्वपूर्ण और

व्यापक क्षेत्र है जिसे तृणमूल स्तर के नवोन्मेषों और नवोन्मेषकों के नेटवर्क के माध्यम से और अनिल गुप्ता और कई अन्य लोगों के अग्रणी कार्यों द्वारा भरपूर प्रकाश में लाया जा चुका है.

दूसरा क्षेत्र है वर्धमान नवोन्मेषों का. इन नवोन्मेषों के कारण विभिन्न प्रकार की फ़र्मों में उत्पादकता की वृद्धि होती है . वैसे तो यह सामान्य मुद्दा है ,लेकिन समावेशी नवोन्मेषों के संदर्भ में , छोटे और माइक्रो स्तर के उद्यमों में इसकी विशेष दिलचस्पी है. ये प्रायः परंपरागत और कारीगरों के संकुल में होते हैं और इनमें बहुत कम पूँजी लगाई गई होती है,आम तौर पर परिवारों द्वारा चलाए जाते हैं और इनमें बहुत कम तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताएँ होती हैं . इनकी मुख्य चुनौती आविष्कारों का व्यवसायीकरण नहीं होती,बल्कि उत्पादकता,गुणवत्ता और बाज़ार के संपर्क बढ़ाना होती है. इन उद्यमों के संदर्भ में नवोन्मेष प्रायः अपवाद रूप में विपरीत इंजीनियरी का रूप ले लेती है . उदाहरण के लिए भारत में कोलकाता (बरुईपुर) के पास माइक्रो-उद्यमों का एक संकुल है,जिसमें शल्यक्रिया के उपकरण बनाए जाते हैं.निश्चय ही वे इनका निर्माण उपकरणों के कैटेलॉग को देखकर ही करते हैं और समझ लेते हैं कि उन्हें कैसे बनाना है और लैपरोस्कॉपिक सर्जरी के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले बहुत सॉफ़िस्टिकेटेड उपकरण भी बना लेते हैं . इस क्षेत्र में और औपचारिक पेटेन्ट प्रणाली के बीच कोई खास संबंध नहीं है ,लेकिन यह क्षेत्र आजीविका और समावेशी विकास की दृष्टि से ज़ाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है.

नवोन्मेष का तीसरा क्षेत्र है ''बाज़ार का विस्तार '' और ''बाज़ार का निर्माण''. इसमें ''पिरामिड के तथाकथित निचले स्तर'' के लिए जिसके लिए अब तक कोई सेवा उपलब्ध नहीं थी, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था रहती है.यदि हम भारत में विकास और विकासोन्मुख उत्पादनों के कुछ महत्वपूर्ण नवोन्मेषों के बारे में सोचें तो निम्नलिखित उदाहरण गिनाए जा सकते हैं , डेयरी क्षेत्र में डेयरी सहकारी उद्योग,पब्लिक कॉल ऑफ़िस, जिनमें उत्पादों का स्वामित्व सेवा की पहुँच के दायरे में आ गया है और हाल ही में इसमें कुछ और उदाहरण भी जुड़ गए हैं, जैसे मुंबई के डब्बावाले (जिसमें पाँच हज़ार लोग दो लाख भोजन के डिब्बे हर रोज़ डिलीवर करते हैं और इनमें गलती का प्रतिशत छह लाख डिलीवरियों में एक प्रतिशत से भी कम होता है), अरविंद नेत्रालय प्रणाली (जिसमें डॉक्टर हर साल दो हज़ार आँखों के ऑपरेशन करते हैं), टाटा नैनो या हिंदुस्तान लीवर का एक रुपए का शैम्पू सैशे. नवोन्मेष की कई श्रेणियाँ हैं ; प्रौद्योगिकी-आधारित और कारोबारी मॉडल- आधारित नवोन्मेष,उत्पादों और सेवाओं दोनों में और ये नवोन्मेष निजी क्षेत्र, अलाभकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में भी हैं. इस प्रकार के नवोन्मेषों की उपस्थिति या सफलता का कोई संबंध औपचारिक बौद्धिक संपदा प्रणाली से नहीं है,लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण हैं.

प्रौद्योगिकीय परिवर्तन या नए उत्पाद या प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न नवोन्मेषों के क्षेत्र के संबंध में भी यदि कोई विधिसंगत प्रश्न उठता है तो वह है प्रौद्योगिकीय प्रगति का स्वरूप और दिशा और यह प्रश्न असेवित वर्ग तक पहुँचने के प्रयास में सबसे अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है. उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की परंपरागत संकल्पना यह है कि इसका जन्म कार्यपरिणामों को अंतिम सीमा तक पहुँचने के प्रयासों से होता है. भले ही यह माइक्रोप्रोसेसर की घड़ी की गति हो या संचार चैनलों की बैंडविड्थ या फिर सॉफ़्टवेयर उत्पाद हो , इंजीनियर और वैज्ञानिक

इन कार्यपरिणामों को आगे बढ़ाने के लिए नए वैज्ञानिक ज्ञान और विचारों का उपयोग करने के प्रयासों में लगे रहते हैं. लेकिन उदीयमान बाज़ारों में कार्यपरिणामों को आगे बढ़ाने की चुनौती इतनी महत्वपूर्ण नहीं है,बल्कि कीमतों में मूलभूत कमी लाना अधिक ज़रूरी है. इसके लिए भी नवोन्मेषकारी क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ाने की आवश्यकता है ,भले ही ये कीमतें मूलभूत कार्यपरिणामों में आए सुधार के पूरी तरह अनुरूप न हो सकें.

तो फिर "समावेशी नवोन्मेषों" के लिए ऐसी नीतियों की संकल्पना कैसे की जाए जो नवोन्मेषकारी हों और जो नवोन्मेष की विभिन्न अपेक्षाओं को स्वीकार करती हों और उन्हें पूरा भी करती हों. शुरूआत में हम तीन बातों पर विचार करेंगे . सबसे पहले बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेते हैं . कदाचित् ये विचार बौद्धिक संपदा अधिकार के ही रूप हैं और पेटेन्ट जैसे परंपरागत रूप में अध्ययन कि ए गए विचारों की तुलना में "समावेशी नवोन्मेष" की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं . इनमें भी अधिक महत्वपूर्ण हैं ,ट्रेडमार्क,डिज़ाइन और भौगोलिक संकेतक . उदाहरण के लिए भारत में कारीगरों और परंपरागत ज्ञानियों को बचाने के लिए भौगोलिक संकेतक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं. इसीप्रकार कॉपीराइट के संरक्षण और समर्थन के लिए भी खुली नवोन्मेष प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. उदाहरण के लिए रचनात्मक कॉमन लाइसेंसिंग भारत में प्रौद्योगिकी- विकसित शिक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPTEL) के अंतर्गत विषयवस्तु के निर्माण का अच्छा मॉडल बन सकता है . इस कार्यक्रम के अंतर्गत संभवतः विश्व में इस समय तकनीकी व्याख्यानों का सबसे बड़ा भंडार निर्मित कर लिया गया है . इस समय अग्रणी संकाय सदस्यों द्वारा दिए गए पाँच पूरे सेमेस्टरों के लेक्चर पाठ्यक्रम इसमें संकलित हो गए हैं अर्थात् लगभग सो लह हज़ार घंटों के लेक्चर हमारे पास स्ट्रीमिंग वीडियो के रूप में सुलभ हैं.

दूसरी बात यह है कि नवोन्मेष नीति का कार्यान्वयन व्यवस्थित रूप में होना चाहिए . केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकीय विकास तक सीमित न रहते हुए मिश्रित प्रश्नों में आरंभिक अवस्था के लिए वित्तपोषण, उद्यमी-समर्थन और करोबार शुरू करने और बंद करने तक के सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल होने चाहिए. अनुकूल स्थितियों का निर्माण आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है. उदाहरण के लिए अमरीका में बाइह-डोल अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को संघीय रूप में वित्तपोषित अनुसंधान व विकास की परियोजनाओं के परिणामस्वरूप किए गए नवोन्मेषों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार बनाए रखने की अनुमति दे दी गई थी. अब इसी अधिनियम को नीति के रूप में उदाहरण मानकर उद्धृत किया जाता है. यद्यपि इस प्रकार की नीति संबंधी व्यवस्था निश्चय ही ज़रूरी है,लेकिन आरंभिक चरण में वित्तपोषण, इनक्युबेशन, उद्यमी समर्थन और बाज़ार तक पहुँच जैसे पूरक और समर्थक कारकों के अभाव में इसका लाभ और प्रभाव सीमित ही रहेगा.

तीसरी बात यह है कि नीतिगत समर्थन के संबंध में चुनौती आम तौर पर संकल्पना के स्तर पर नहीं होती, बल्कि कार्यान्वयन और संचालन के स्तर पर होती है. उदाहरण के लिए, छोटे कारोबार नवोन्मेष अनुसंधान (SBIR) कार्यक्रम को अधिकांशतः आरंभिक चरण के वित्तपोषण के अनुकरणीय उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है. भारत में छोटे कारोबार नवोन्मेष अनुसंधान (SBIR) जैसे मॉडल की एक कठिनाई यह भी है कि यहाँ पर वही प्रणाली स्थानापन्न हो सकती है जो मज़बूत होने के साथ-

साथ पारदर्शी भी हो और निजी क्षेत्रों को संसाधनों की डिलीवरी करने के साथ- साथ प्राप्तकर्ताओं के स्वरूप और उसकी आवश्यकता ओं के अनुरूप भी हो. जब तक संकल्पना और नीति नि र्माण की अवस्था में ही संचालन संबंधी मुद्दों पर विचार नहीं कर लिया जाता ,तब तक अपेक्षित प्रभाव की उम्मीद भी नहीं की जा सकती.

अंततः नवोन्मेष के लिए कैसी भी नीति क्यों न बनाई जाए उसे अनुसंधान व विकास के वैश्वीकरण के कारण सामने आई चुनौतियों और अवसरों के अनुरू प अपने -आपको ढालना ही होगा . उत्पादन संबंधी गतिविधियाँ और उससे संबद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) ही वैश्विक आर्थिक भूदृश्य को परिभाषित करने वाले लक्षणों में से एक है और साथ- ही अपने-आप में महत्वपूर्ण भी है ,लेकिन इसे कदाचित् उतनी स्वीकृति नहीं मिल पाई जितनी अनुसंधान व विकास के वैश्वीकरण को मिली है. ज्ञान निर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण का विकास वैश्विक ढंग से अलग-अलग हो रहा है. इन प्रवृत्तियों में देशों के भीतर ही नवोन्मेष की प्रणालियों को फिर से आकार देने का सामर्थ्य है,लेकिन असली मुद्दा यह है कि इसका प्रभाव कैसा होगाः नुक्सानदेह, सौम्य या सकारात्मक.

आनंद पटवर्धन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टैक्नोलॉजी,मुंबई के एस.जे.मेहता प्रबंधन स्कूल में प्रोफ़ेसर हैं.

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा),रेल मंत्रालय, भारत सरकार

<malhotravk@hotmail.com>